उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

8.6.22 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अभिभाषक उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा कई दस्तावेज पेश किये गये, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। उभय पक्ष अभिभाषक ने पत्रावली में बहस सुनने हेतु निवेदन किया, जिस पर उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उनके पिता की 1980 में मृत्यु हो चुकी है जिसका विरासतन नामान्तरकरण 2013 में खोला गया। वादग्रस्त आराजियात खातेदारी की भूमि है। इस वादग्रस्त आराजियात पर छोटी देवी व भंवरी देवी का कभी कब्जा-काश्त नहीं रहा है। दिनांक 28.01.2021 को खातेदारी भूमि का बेचान अप्रार्थीगण द्वारा कर दिया गया जबकि बिना विधिक बंटवारे के खातेदारी भूमि का किसी अन्य व्यक्ति को बेचान या स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है। बिना बंटवारे सहखातेदारी [illegible] का बेचान होने पर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ेगा। [illegible] प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में [illegible] वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थीगण का कब्जा-काश्त है तथा संयुक्त सह-खातेदारी की भूमि है। भंवरी देवी उक्त भूमि का

— PTO —

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:18:11 IST
Reason: SelfAttested

बेचान करना चाहती है। न्यायालय का यह दायित्व है कि वाद के उद्देश्यो को सुरक्षित रखा जावे। 2005 के बाद पिता की मृत्यु हो जाने पर पुत्रियों को पैतृक संपत्ति मे भूमि लेने का हक था। सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का पक्ष भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म करवाने के आदेश जारी करावे। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वाद मे तथ्य कुछ अलग है और बहस मे अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा कुछ अलग ही तथ्य बताये जा रहे है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा सहमति से बँटवारा करना चाहते है।

हमने उभय पक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। उभय पक्ष अभिभाषक की बहस एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रतीत होते है, साथ ही उभय पक्ष अभिभाषक मूल वाद मे सहमति के आधार पर बँटवारा करवाये जाने हेतु सहमत भी है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा न्याय हित मे दिनांक 25.01.2021 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। उभय पक्ष वादग्रस्त आराजियात की मौके व रेकर्ड की यथास्थिति [illegible] भूमि का रहन, बेचान या हस्तांतरण नहीं [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] नम्बर [illegible] कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2022 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

[signature] 08.6.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:18:11 IST
Reason: SelfAttested